न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/124/2023	2023/482	08-09-2023	09-01-2025

1. भजनलाल पुत्र धण्टया राम जाति मीना निवासी कल्याणपुर उपतहसील भनोखर जिला अलवर राज0।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. सरकार जरिये उप—तहसीलदार भनोखर, जिला अलवर (राज0)

——रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध उप—तहसीलदार भनोखर निर्णय दिनांक 22.06.2023

उपस्थित:—

01—श्री अनिल कुमार गुप्ता —वकील अपी0
02—राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पो0

—:निर्णय:—

अपीलान्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उप—तहसीलदार, भनोखर जिला अलवर के आदेश दिनांक 22.06.2023 जिसके द्वारा अपी0 को आ0ख0नं0 150 रकबा 1.62 है0 किस्म चारागाह भूमि वाके ग्राम कल्याणपुर पर अतिक्रमण किए जाने के फलस्वरूप अतिकमित रकबे से बेदखल किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि पटवारी हल्का खेडा कल्याणपुर उपतहसील भनोखर के द्वारा तहत अदालत उपतहसीलदार भनोखर के समक्ष एक रिर्पोट दिनांक 10.04.2023 को पेश कर निवेदन किया गया कि आराजी खसरा नं० 150 किस्म चरागाह रक्बा 1.62 में से 0.05 एक पर पक्की चारदीवारी व पक्का मकान निमार्ण कर अतिक्रमणकर लिया गया है जिसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे। जिस पर प्रकरण दर्जकर उपतहसीलदार भनोखर के द्वारा दिनांक 12.05. 2023 को नोटिस जारी कर दिनांक 06.06.2023 को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के आदेश जारी किये गये। जिस पर बिना सूचना के ही अपीलांट की तामील मानकर अपीलांधीन आदेश बिना सुने ही पारित कर दिये गये जिस आदेश के खिलाफ निम्न उज्जात के साथ अपीलं पेश कर जा रही है। तहत अदालत का आदेश दिनांक 22.06.2023 विधी के खिलाफ होने के कारण निरस्तनीय है। तहत अदालत का आदेश की जानकारी दिनांक 17.08.2023 को हुई जब उपतहसीलदार के कर्मचारी उक्त आदेश की पालना के लिए अपीलांट के घर पर आये और उक्त आदेश के बारे मे बताया गया और मकान तोडने के बारे में बताया अपीलाट ने अधिवक्ता के माध्यम से तहत अदालत के कार्यालय मे जानकारी करवाई तो तहत अदालत के आदेश की नकल के आवेदन करवाया गया और कानूनी जानकारी की गई। जिस पर अपील बिना किसी देरी के पेश है। अलग से दफा 5 परीसीमा अधिनियम का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश है। तहत अदालत के द्वारा अपीलांट को अतिक्रमण के सम्बध मे कोई नोटिस नहीं दिया गया। ना ही कोई तामील करवाई गई। अपीलांट के प्राथी के हस्ताक्षर किसी दीगर व्यक्ति के करवाया जाकर तामील कुनन्दा के द्वारा नोटिस तहत अदालत में पेश किया गये है जिस तामील को ही तहत अदालत के द्वारा पर्याप्त मानते हुए आदेश पारित किये गये है। इस प्रकार अपीलांट तहत अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखने से वंचित हो गया। और जो आदेश दिये गये है वो तहत अदालत के द्वारा बाला बाला मे दिये गये है। आराजी खसरा नं0 150 किस्म चरागाह रक्बा 1.62 वाके ग्राम खेडा कल्याणपुर मे पुरा गाव बसा हुआ है काफी सालो से सभी मकान बना रखे है और मकान बनाकर निवासी कर रहे है और पशु सम्पदा को रखते है और अपीलांट के द्वारा भी रक्बा 05 पर एक पक्की चारदीवारी व पक्का मकान निमार्ण कर रखा है। लेकिन गांव के

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

सरपंच के द्वारा आपसी रंजिस रखते हुए पहवारी हल्का एव उपतहसीलदार से साजाबाज होकर केवल अपीलांट एव उसके परिवार वालो के खिलाफ भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई जो कि बदनियती पूर्वक से गई है। और अपीलांट को बिना सुने ही आदेश पारित किया गया है। जिससे अपीलांट उक्त बात तहत अदालत के समक्ष रखने से वंचित हो गया है। अपीलांट जो कि एक अनुसचित जनजाति का व्यक्ति है जिसके पास कोई आजीवका का साधन नही हैं और उक्त खसरा पर गांव वालो के साथ मकान बना कर करीब 40 साल से निवास कर रहा है। इस प्रकार प्रार्थी अपीलांट की स्थिती को देखते हुए तहत अदालत के द्वारा उक्त खसरा की किस्म परिवर्तन की कार्यवाही की जाकर आंबटन या नियमन की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। लेकिन तहत अदालत के द्वारा बिना विधिक कार्यवाही किये ही अपीलांट को बिना सुने ही अपीलाधीन आदेश पारित किये गये है। तहत अदालत के द्वारार अपीलांधीन आदेश राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एव भू राजस्व अधिनियम एव नियमों व माननीय राजस्व मण्डल के द्वारा दियें निर्णयो के खिलाफ पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.06.2023 उपतहसीलदार भनोखर के द्वारा पारित किया गया है जिसके खिलाफ अपील श्रीमान के श्रवण क्षेत्राधिकार में है। अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन किया कि अपील स्वीकार की जाकर तहत अदालत उपतहसीलदार भनोखर जिला अलवर के आदेश दिनांक 22.06.2023 निरस्त किया जावे।

रेस्पो0 की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत एवं नियमानुसार निर्णय किया गया है। अतः निवेदन किया कि अपील अपी0 खारिज फरमाई जावे।

सर्वप्रथम दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया। अपीलान्ट ने यह अपील आदेश दिनांक 22.06.2023 के विरूद्ध दिनांक 31.08.2023 को इस न्यायालय में पेश की है जो करीब दो माह 9 दिन के विलम्ब से पेश की है। विलम्ब की अवधि असाधारण नहीं है फिर भी प्रार्थना पत्र दफा 5 में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों एवं पटवारी हल्का खेडा कल्याणपुर मय ताईद भू.अ.नि. रोनीजाथान की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट पटवारी व रिकॉर्ड के अनुसार आराजी खसरा नंबर 150 रकबा 1.62 है0 किस्म चारागाह भूमि वाके ग्राम कल्याणपुर में दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का खेडा कल्याणपुर अपीलाण्ट द्वारा आराजी खसरा नंबर 150 रकबा 1.62 हैक्टेयर किस्म चारागाह भूमि में से 0.05 है0 पर पक्की चारदीवारी व माकान आदि बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यों के आधार पर अपी0 द्वारा राजकीय चारागाह भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। अपी0 द्वारा उक्त आराजी पर किया गया अनाधिकृत कब्जा अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार भनोखर का आदेश दिनांक 22.06.2023 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)